संख्या-122/2023/।/403174/2023/71-2002(002)/10/2023-

प्रेषक,

राम यज्ञ मिश्र,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत फेज-।। एवं फेज-।।। के अंतर्गत संचालित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/384, दिनांक 18.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत फेज-।। एवं फेज-।।। के अंतर्गत संचालित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में "लेखाशीर्षक-8000 आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन के संवितरण पक्ष से", चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत संचालित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , जौनपुर के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में कुल धनराशि रु0 17411.10 लाख (रू0 एक अरब चौहत्तर करोड ग्यारह लाख दस हजार मात्र) निम्न तालिकानुसार निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	लेखाशीर्षक	माह अगस्त से मार्च (08 माह) तक वेतन व्यवस्था हेतु से स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	एटा	2210-05-105-03-0348-31	8 00.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	हरदोई	2210-05-105-03-0349-31	1402.07
3	प्रतापगढ	2210-05-105-03-0350-31	1217.50
4	फतेहपुर	2210-05-105-03-0351-31	1776.59
5	सिद्धार्थनगर	2210-05-105-03-0352-31	821.38
6	देवरिया	2210-05-105-03-0353-31	1127.39
7	गाजीपुर	2210-05-105-03-0354-31	1627.18
8	मीरजापुर	2210-05-105-03-0355-31	1148.50
9	जौनपुर	2210-05-105-03-0386-31	500.00
10	**योग रू0**		10420 . 61
11	93-फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन-	2210-05-105-03-0393-31	6990.49
12	**महायोग रू0**		**17411.10**

(रू0 एक अरब चौहत्तर करोड ग्यारह लाख दस हजार मात्र)

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. आकस्मिकता निधि से आहरित की जाने वाली अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा करायी जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के संबंध वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में "लेखाशीर्षक-8000 आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन के संवितरण पक्ष से", एवं उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित अनुदान संख्या-31 के सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभागके अशासकीय संख्या-ई-3-181/दस-2023-24, दिनांक 09-10-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम यज्ञ मिश्र)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>वित्त विभाग का पृष्ठांकन संख्या-ई-3-2023.सी.एफ-002/दस-2023 , दिनाँक 09 अक्टूबर, 2023</u>

प्रतिलिपि महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच), उ0प्र0 प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

बृजेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन

<u>संख्या-122/2023//।/403174/2023/71-2002(002)/10/2023, तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://sh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।